भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
08.02.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 949 का उत्तर

रेल भूमि पर अतिक्रमण

949. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से ओडिशा और तमिलनाडु में आज की तारीख में रेलवे के कब्जे में राज्य-वार कुल कितनी जमीन है;
(ख) रेलवे भूमि के प्रबंधन और उपयोग को नियंत्रित करने वाली नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) आज की तिथि तक मलिन बस्तियों द्वारा अतिक्रमण किए गए रेलवे के कुल भूमि क्षेत्र का राज्य और शहर-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितनी अतिक्रमित भूमि को जोन-वार मुक्त कराया गया है; और
(ङ) क्या रेलवे ने उपरोक्त अवधि के दौरान अपनी भूमि के अतिक्रमण के कारण राजस्व की हानि का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

रेल भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में 08.02.2023 को लोक सभा में श्रीमती मंजुलता मंडल, श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री जी. सेल्वम और श्री धनुष एम. कुमार के अतारांकित प्रश्न सं. 949 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): 31.03.2022 तक भारतीय रेल के पास कुल 4.86 लाख हेक्टेयर (लगभग) भूमि है, जिसमें ओडिशा और तमिलनाडु राज्य की भूमि शामिल है। भारतीय रेल भूमि स्वामित्व का राज्य-वार आकड़े नहीं रखती है। जोन-वार भूमि स्वामित्व का आंकड़ा इस प्रकार है:-

हेक्टेयर में आंकड़े

क्षेत्रीय रेलें	31.03.2022 तक भूमि धारिता
मध्य	29421.63
पूर्व	20972.87
पूर्व मध्य	37210.37
पूर्व तट	22964.67
उत्तर	44005.53
उत्तर मध्य	19352.98
पूर्वोत्तर	25648.15
पूर्वोत्तर सीमा	48357.51
उत्तर पश्चिम	26866.62
दक्षिण	26945.53
दक्षिण मध्य	32679.09
दक्षिण पूर्व	42850.92
दक्षिण पूर्व मध्य	23116.57
दक्षिण पश्चिम	19563.34
पश्चिम	38273.84
पश्चिम मध्य	23658.38
मेट्रो	148.87
उत्पादन इकाइयां	3820.30
कुल	485857.16

(ख): रेलवे के कामकाज से जुड़ी गतिविधियों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, सरकारी विभागों, अस्पतालों, केंद्रीय विद्यालयों आदि के लिए रेलवे भूमि को पट्टे पर देने के प्रावधान से

s.k

संबंधित एक मास्टर परिपत्र "रेल भूमि के प्रबंधन के लिए नीति" 04.10.2022 को जारी किया गया है। रेलवे के अनन्य उपयोग के लिए नए कार्गो संबंधित परियोजनाओं/सुविधाओं और नवीकरणीय ऊर्जा , जल उपचार/पुनर्चक्रण , सीवेज उपचार संयंत्रों आदि को प्रतिस्पर्धी बोली, पारदर्शी तरीकों से रेलवे भूमि पट्टे पर दी जाती है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे/सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों की विशिष्ट आवश्यकता के लिए भी रेल भूमि पट्टे पर दी जाती है। रेल भूमि का पट्टा प्रभार और पट्टा अवधि विशिष्ट है।

(ग): रेलें अतिक्रमित भूमि का राज्य/शहर-वार विवरण नहीं रखती हैं। भूमि पर अतिक्रमण का जोन-वार आंकड़ा इस प्रकार है:

रेलें	31.03.2022 तक अतिक्रमण के तहत भूमि (हेक्टेयर में)
मध्य	52.50
पूर्व	21.94
पूर्व मध्य	1.35
पूर्व तट	13.04
उत्तर	157.89
उत्तर मध्य	40.98
पूर्वोत्तर	23.31
पूर्वोत्तर सीमा	93.19
उत्तर पश्चिम	18.34
दक्षिण	55.15
दक्षिण मध्य	14.34
दक्षिण पूर्व	140.60
दक्षिण पूर्व मध्य	41.41
दक्षिण पश्चिम	16.26
पश्चिम	50.59
पश्चिम मध्य	36.23
उत्पादन इकाइयां	5.69
कुल	782.81

s.k

(घ): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष (दिसंबर , 2022 तक) के दौरान अतिक्रमण से मुक्त भूमि का जोन-वार कुल क्षेत्रफल निम्नानुसार है:

अतिक्रमण से मुक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)				
रेलें	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.12.2022 तक)
मध्य	0.00	0.27	3.33	2.98
पूर्व	0.00	-	0.66	1.34
पूर्व मध्य	0.19	0.15	0.02	0.50
पूर्व तट	0.06	0.74	0.11	0.72
उत्तर	7.11	0.00	18.10	-
उत्तर मध्य	0.05	0.00	0.46	1.15
पूर्वोत्तर	0.00	2.08	0.00	0.26
पूर्वोत्तर सीमा	1.07	0.07	0.67	0.13
उत्तर पश्चिम	0.09	-	0.00	0.00
दक्षिण	0.62	-	0.00	0.00
दक्षिण मध्य	0.45	0.26	1.38	0.28
दक्षिण पूर्व	0.59	0.23	0.33	0.16
दक्षिण पूर्व मध्य	0.58	1.14	0.17	-
दक्षिण पश्चिम	0.00	0.00	0.00	0.01
पश्चिम	-	1.41	1.93	0.26
पश्चिम मध्य	-	0.09	0.33	0.04
उत्पादन इकाइयां	0.01	0.02	0.01	0.01

(ङ): कुछ स्थानों पर, अतिक्रमण के कारण रेलगाड़ियों के संचालन में बाधाएँ, सुरक्षा संबंधी खतरे और रेलपथ के रखरखाव में कठिनाइयाँ होती हैं, जो कई बार लाइन क्षमता और थ्रूपुट दोनों को प्रभावित करती हैं जो अंततः रेलवे के राजस्व को प्रभावित करती हैं जिसका आकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

s.k

रेलवे अतिक्रमणों की रोकथाम/हटाने के लिए अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए नियमित आधार पर सर्वेक्षण करती है और उन्हें हटाने की कार्रवाई करती है। यदि अतिक्रमण झुग्गियों, झोपड़ियों और अतिक्रमणकारियों के रूप में अस्थायी प्रकृति के हैं , तो उन्हें रेल सुरक्षा बल और स्थानीय नागरिक अधिकारियों के परामर्श से एवं सहायता से हटा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमणों के लिए , जहां पक्ष सौहार्दपूर्ण माध्यम से अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं है, तो उसे सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई अधिनियम, 1971), यथा संशोधित, के तहत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार और पुलिस की सहायता से अनधिकृत कब्जाधारियों की वास्तविक बेदखली की जाती है।

*****

s.k